न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/57/2021	08–10–2021	15–06–2023

01– महेश कुमार पुत्र साधुराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तिबारा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 21.06.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 500/2017

उपस्थितः–

01–श्री उमेश कौशिक –वकील अपीलाण्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 21.06.2018 प्रकरण संख्या 500/2017 जिसके द्वारा सम्वत 2074 में अपीलान्ट को ग्राम तिबारा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 703 रकबा 0.63 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.04 है0 में बाडा, पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली, पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 703 वाके ग्राम तिबारा में 0.04 ऐयर पर बाडा, मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया गया है, यह निर्माण मेरे पिताजी के समय से करीब 50 वर्षो से चला आ रहा है। मकान पिता द्वारा बनाया गया है। उन्हे नोटिस नही दिया गया मुझे मेरे पिता के द्वारा शादी के बाद रहने को दिया है। मैं तो सिर्फ कली वगै0 करता हूँ। मैरे साथ–साथ गांव के अन्य व्यक्तियो को भी 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये थे, उनहे केवल लगान का 25 गुणा शास्ती लगा कर छोड दिया गया। जबकि उनका निर्णय भी चारागाह भूमि पर था। सिर्फ मेरे को निर्णय के बाद नोटिस कंमाक 1445 दिनाक 06.07.2018 जारी कर पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु भेजा गया । किसी अन्य को कोई नोटिस नही दिया गया। इस तरह से सारी कार्यवाही अवैध रूप से की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पिता के होते हुए मुझे अतिक्रमी मानना सरासर गलत था। राज्य सरकार ने चारागाह भूमि के बदले कही और उतनी ही भूमि दी जावे। तहत अदालत ने कोई कार्यवाही बेदखली की कानून के प्रावधानो के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नही की/ कोई शहादत पेश करने का अवसर मुझे नही दिया। पटवारी हल्का के बयान मेरे सामने नही लिये गये बयान ही नही लिये सिर्फ रिपोर्ट पटवारी हल्का पर ही निर्णय पारित कर दिया गया जो निर्णय स्वतः ही अवैध है। कानून कहता है, कि शहादत का अवसर पक्षकार को दिया जावे। विधिक प्रावधानो की पालना नही की गयी है। गांव में जो भी अन्य लोगो के निर्माण मकान वगै0 है, वे सब चारागाह भूमि में है। मेरा अकेला का मकान नही है, आस पास के अन्य लोगो के मकान भी इसी चारागाह भूमि में है। नोटिस में यह भी नही लिखा है, कि खसरा न0 703 का कुल रकबा कितना है, किस तरफ मकान बना हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया है। सभी तथ्यो को मध्येनजर रखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.06.2018 निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा चारागाह राजकीय भूमि में अतिक्रमण पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि निर्माण मेरे पिताजी के समय से करीब 50 वर्षो से चला आ रहा है। मेरे साथ–साथ गांव के अन्य व्यक्तियो को भी 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये थे, उनहे केवल लगान का 25 गुणा शास्ती लगा कर छोड दिया गया। सिर्फ मेरे को निर्णय के बाद नोटिस कमांक 1445 दिनाक 06.07.2018 जारी कर पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु भेजा गया । किसी अन्य को कोई नोटिस नही दिया गया। इस तरह से सारी कार्यवाही अवैध रूप से की जा रही है। तहत अदालत ने कोई कार्यवाही बेदखली की कानून के प्रावधानो के तहत नही की/ कोई शहादत पेश करने का अवसर मुझे नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पटवारी हल्का भूडियावास द्वारा दिनांक 07.09.2017 को सम्वत 2074 में अपीलान्ट को ग्राम तिबारा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 703 रकबा 0.63 है0 किस्म चारागाह में से 0.04 है0 भूमि में बाडा/पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 09.10.2017 को तलब किया गया। अतिक्रमी की ओर से श्री डी.पी.दीक्षित एड0 का वकालतनामा पेश कर वास्ते जवाब हेतु दिनाक 12.10.2017 को नियत की गयी। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया तथा साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा गया, वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकन किया है, कि अतिक्रमण बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है, कोई नया अतिक्रमण नही है। उक्त अतिक्रमण की पैमाईश की जावे। जितनी आराजी पर अतिक्रमण होगा उतनी आराजी के बदले में खोती की जमीन दे दूँगा। इसके बाद अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य तहत अदालत के समक्ष पेश नही किये जाने पर तहत अदालत द्वारा दिनाक 21.06.2018 को निर्णय किया गया। पारित निर्णय की पालना हेतु अतिक्रमी के विरूद्व दिनाक 06.07.2018 को पुनः नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अप्रार्थी द्वारा तहत अदालत के सक्षम पेश कर अवगत कराया है, उसके द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के यहॉ अपील पेश कर दी गयी है, तक तक कार्यवाही रोकी जावे। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष स्वयः ही स्वीकार किया गया है, कि आराजी पर उसके बुजर्गो के समय से ही अतिक्रमण चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किये गये है, जबकि तहत अदालत द्वारा बार–बार अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण को अवावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से बार–बार समय चाहा है, अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी को वास्ते रिहायश भूमि

ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

आंवटन हेतु संबंधित कार्यालय में कोई आवेदन पेश किया हो के संवंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि प्रस्तावित आराजी की किस्म वर्तमान में चारागाह है, जो प्रतिबन्धित भूमियो की क्षेणी में आती है, जिसका किसी को भी आंवटन/नियमन नही किया जा सकता है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.06.2018 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)